कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

क्रमांक–प.18( )न्याय / निषेधाज्ञा / 2020 / 12566 दिनांक : 29.11.2020

आदेश

(अधीन धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973)

जिला नागौर में कोविड–19 के प्रकरणों में अप्रत्याशित वृद्धि एवं संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उक्त परिस्थितियों से मेरा समाधान हो गया है एवं मैं सन्तुष्ठ हूँ कि ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया जिला मुख्यालय नागौर की नगरीय सीमा में निवारसत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं केन्द्रीय लोक प्रशांति बनाये रखने की दृष्टि से रात्रि 08 बजे से प्रातः 6 बजे तक **दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा** जारी की जावे।

अतः मैं, **डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी** जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाये रखने की दृष्टि से **जिला मुख्यालय नागौर** नगरीय सीमा में **रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक जीरो मोबिलिटी क्षेत्र (लॉकिंग एरिया–जन साधारण का अपने निवास स्थान से बाहर आगमन निषेध)** घोषित कर निषेधाज्ञा जारी कर निर्देशित किया जाता है कि–

1. सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि सांय 7 बजे बंद कर दिये जायें ताकि संबंधित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाये, जब तक कि इस हेतु अधिकृत अधिकारी से अन्यथा विशेष अनुमति प्राप्त नहीं की गई हो।

   कर्फ्यू सम्बन्धी यह गाईडलाईन्स निम्नांकित पर लागू नहीं होगी :–

   (i) वे फैक्ट्रियां, जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो।
   (ii) वे फैक्ट्रियां, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो।
   (iii) आई.टी. कम्पनियां
   (iv) कैमिस्ट शॉप
   (v) अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय
   (vi) विवाह सम्बन्धी समारोह
   (vii) चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल
   (viii) बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने / जाने वाले यात्रीगण।
   (ix) माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति।

   इस हेतु पृथक से पास जारी नहीं किये जायेंगें।

2. कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए उक्त सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेगें।
3. यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होगा।
4. यह प्रतिबन्ध चिकित्सा कार्मिकों, सफाई कर्मियों तथा कानून व्यवस्था एवं अधिकृत राशन सामग्री के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
5. मैं उक्त क्षेत्र के सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ।

मैं, जिलें के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघंन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं दी राजस्थान महामारी अधिनियम, 1957 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना संभव नहीं है, अतः एकपक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नगर परिषद नागौर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में मुख्य–मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.11.2020 को रात्रि 10.00 बजे से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,नागौर
दिनांक 29.11.2020

क्रमांक–सम / 12567–12590

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य सचिव महोदय,राजस्थान,जयपुर ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, गृह एवं गृह रक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त,अजमेर।
5. महानिरीक्षक पुलिस, रेन्ज,अजमेर।
6. प्रभारी, स्टेट वार रूम, जयपुर।
7. जिला मजिस्ट्रेट—————————समस्त
8. पुलिस अधीक्षक, नागौर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावे।
9. पुलिस अधीक्षक—————————समस्त।
10. अति.जिला मजिस्ट्रेट, नागौर / डीडवाना।
11. अति.पुलिस अधीक्षक, नागौर / डीडवाना।
12. उपखण्ड मजिस्ट्रेट————————(समस्त)।
13. वृत्ताधिकारी पुलिस,वृत्त, ————————(समस्त)।
14. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में विशेष कार्ययोजना तैयार कर समुचित प्रबन्ध किया जाना सुनिश्चित करें।
15. जिला रसद अधिकारी, नागौर।
16. विकास अधिकारी,पंचायत समिति, नागौर।
17. तहसीलदार,———— ————————(समस्त)।
18. थानाधिकारी, पुलिस थाना——————————।
19. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद / नगरपालिका मण्डल————————।
20. प्रभारी अधिकारी, पूल, कलेक्ट्रेट, नागौर।
21. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, नागौर को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
22. अवर निजी सचिव, जिला कलक्टर, नागौर।
23. संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रोद्योगिकी, आई.टी.सेंटर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को जिले की वेबसाईट (www.nagaur.rajasthan.gov.in) पर अवलोड किया जावे।
24. संरक्षित पत्रावली / जिला वार रूम।

अति. जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर